राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 34/21 दायर दिनांक 31.12.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. गणपत पुत्र भंवरलाल जाति जाट
2. गीता देवी पत्नि गणपत जाति जाट
3. गोरधन पुत्र भंवरलाल
4. नोजकी देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट
5. रतनी पुत्री भंवरलाल जाति जाट
6. लक्ष्मण पुत्र भंवरलाल जाति जाट
7. अमरी पत्नि गोरधन जाति जाट
8. सीमा पुत्री भंवरलाल जाति जाट
9. जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम पडांगा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0 1956 वास्ते
सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्

निर्णय **दिनांक 28.3.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पड़ांगा पटवार हल्का अमरपुरा भू–अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी के खाता संख्या 60 में ख0न0 120/56 कुल खसरा 1 कुल क्षेत्रफल 1.9416 है0 तथा खाता संख्या 16 में ख0न0 116/56 व ख0न0 117/56 एवं ख0न0 158/56 कुल खसरे 3 कुल रकबा 5.0792 है0 में संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि अवस्थित है तथा मौके पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम से सीमाज्ञान करने के आदेश किये गये। सीमाज्ञान किये अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। प्रार्थीगण के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुई प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि की नींव,सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं पड़ोसी खातेदारों द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव को उखाड़ [illegible] हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशान होती है। प्रार्थीगण अपने वादग्रस्त [illegible]जी पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। [illegible]लिए प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। [illegible] अप्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible]लबी जरिये नोटिस [illegible] प्रकरण मे जवाब पेश नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण मे जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम पडांगा की अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 60 में ख0न0 120/56 रकबा 1.9416 है0 गणपत पुत्र भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7, गीता देवी पत्नि गणपत जाति जाट हि0 1/7, गोरधन पुत्र भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7,नोजकी देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7, रतनी पुत्री भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7, अमरी पत्नि गोरधन जाति जाट हि0 1/7, सीमा पुत्री भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7 सर्व निवासीगण ग्राम पड़ांगा खातेदार के नाम व खाता संख्या 16 में ख0न0 116/56 रकबा 0.0970 है0, ख0न0 11/56 रकबा 0.1537 है0, ख0न0 158/56 रकबा 4.8285 कुल किता 3 कुल रकवा 0792 है0 गणपत पुत्र भवरलाल जाति जाट हि0 1/7, जगदीश पुत्र भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7 रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करकेड़ी, गोरधन पुत्र भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7, नोजकी देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7, रतनी पुत्री भंवरलाल जाति जाट 1/7, सीमा पुत्री भंवरलाल जाति जाट हि0 1/7 व लक्ष्मण पुत्र भंवरलाल जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील वादी की वहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पड़ांगा के ख0न0 120/56 रकवा 1.9416 है0 तथा ख0न0 116/56 , ख0न0 117/56 , ख0न0 158/56 रकवा 5.0792 है0 भूमि के पडोसी खातेदारो को सुचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested